

¹[नियम 163 : जानकारी का सहमति आधारित साझाकरण

- (1) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित में दी गई जानकारी साझा करने का विकल्प चुनता है—
- (क) समय-समय पर यथासंशोधित प्ररूप जीएसटी आरईजी -01;
- (ख) कतिपय कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी;
- (ग) समय-समय पर यथासंशोधित, उसके द्वारा जारी बीजकों, नामे नोट और जमापत्र से संबंधित कुछ कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 ²[यथासंशोधित प्ररूप जीएसटीआर-1क यदि कोई हों],
- धारा 158क (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुरोध प्रणाली” कहा गया है) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रणाली के साथ, अनुरोध करने वाली प्रणाली ऐसी जानकारी साझा करने के लिए उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति अभिप्राप्त करेगी और सामान्य पोर्टल पर कर अवधि ब्यौरों सहित सहमति संसूचित करेगी ।
- (2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ ऐसी जानकारी साझा करने के लिए केवल तभी देगा जब वह उन सभी प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त कर लेगा, जिन्हें उसने उक्त कर अवधि के दौरान बीजक, जमापत्र और नामे नोट जारी किए हैं और जहां वह अपनी सहमति प्रदान करता है, वहां ऐसे प्राप्तकर्ताओं की सहमति प्राप्त की गई मानी जाएगी।
- (3) सामान्य पोर्टल उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी उक्त प्रणाली से प्राप्त होने पर अनुरोधकर्ता प्रणाली के साथ संचार करेगा —
- (क) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की सहमति; और
- (ख) यथास्थिति, कर अवधि या प्राप्तकर्ताओं का विवरण, जिसके संबंध में जानकारी अपेक्षित है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 38/2023-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.08.2023 द्वारा नियम 163 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

² अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।